संख्या- 370/2026/115के-2/22-3-2026-17(122)/2026

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 10 नवम्बर, 2026

विषयः- जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी अमरपाल राठौर पुत्र श्री तोताराम, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-4400/प्रो0अनु0(7)/14/2025/(बैठक दिनांक-19.01.2026) दिनांक-16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी अमरपाल राठौर पुत्र श्री तोताराम, ग्राम-काजरबोझी, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। दिनांक 21.07.2017 को बन्दी द्वारा वादी की 05 वर्षीय पुत्री को बलात्कार करने के उद्देश्य से उठाकर गन्ने के खेत में ले गया, लागों द्वारा घेरे जाने पर पीड़िता को छोड़कर भागने लगा, परन्तु लोगों ने उसे पकड़ लिया गया। उक्त अपराध में सत्र परीक्षण संख्या-110/2017, आईपीसी की धारा-323 व 9एम/10 पाक्सो एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश, (पाक्सो अधिनियम) अपर सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांक 16.07.2025 द्वारा 07 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.09.2025 तक अपरिहार 02 वर्ष, 11 माह तथा सपरिहार 02 वर्ष, 11 माह, 07 दिन की सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु लगभग 38 वर्ष है।

प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि सिद्धदोष बंदी अमरपाल राठौर पुत्र श्री तोताराम की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में दिनांक 21.07.2017 को बन्दी, वादी की 05 वर्षीय पुत्री को बलात्कार करने के उद्देश्य से उठाकर गन्ने के खेत में ले गया, लागों द्वारा घेरे जाने पर पीड़िता को छोड़कर भागने लगा, परन्तु लोगों ने उसे पकड़ लिया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमरपाल राठौर पुत्र श्री तोताराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी अमरपाल राठौर (बन्दी संख्या-223/2025) पुत्र श्री तोताराम, निवासी जनपद-पीलीभीत को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत।

3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 370/2026/115के-2/22-3-2026-17(122)/2026

दिनांक 10 नवम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी अमरपाल राठौर पुत्र श्री तोताराम, ग्राम-काजरबोझी, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। दिनांक 21.07.2017 को बन्दी द्वारा वादी की 05 वर्षीय पुत्री को बलात्कार करने के उद्देश्य से उठाकर गन्ने के खेत में ले गया, लागों द्वारा घेरे जाने पर पीड़िता को छोड़कर भागने लगा, परन्तु लोगों ने उसे पकड़ लिया गया। उक्त अपराध में सत्र परीक्षण संख्या-110/2017, आईपीसी की धारा-323 व 9एम/10 पाक्सो एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश, (पाक्सो अधिनियम) अपर सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांक 16.07.2025 द्वारा 07 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.09.2025 तक अपरिहार 02 वर्ष, 11 माह तथा सपरिहार 02 वर्ष, 11 माह, 07 दिन की सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु लगभग 38 वर्ष है।

प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि सिद्धदोष बंदी अमरपाल राठौर पुत्र श्री तोताराम की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में दिनांक 21.07.2017 को बन्दी, वादी की 05 वर्षीय पुत्री को बलात्कार करने के उद्देश्य से उठाकर गन्ने के खेत में ले गया, लागों द्वारा घेरे जाने पर पीड़िता को छोड़कर भागने लगा, परन्तु लोगों ने उसे पकड़ लिया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमरपाल राठौर पुत्र श्री तोताराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।